कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
भदभदा रोड, भोपाल–462003

क्रमांक–मप्रपुआ.अविनि/स्था–3/2195 /2025/ भोपाल, दिनांक 28/08/25

// आदेश //

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP-15311/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2025 के परिपालन में, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रं–सी–5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 में की कण्डिका '6' के अनुसार प्रथमतः एक वर्ष के लिए वेतनमान रूपये 32800–103600 (लेवल–8) में नियमानुसार अस्थाई रूप से श्री विवेक कुमार शुक्ला पिता श्री रविन्द्र कुमार शुक्ला को संविदा उपयंत्री (सिविल) के पद पर निम्नाकिंत शर्तो पर पुर्ननियुक्ति प्रदान की जाती है।

संविदा नियुक्ति पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अभ्यार्थी एक सप्ताह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र/जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र/चरित्र सत्यापन एवं अनुप्रमाणन फार्म प्रस्तुत कर प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो यह संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगीः–

<u>संविदा नियुक्ति की शर्तें</u>

1. संविदा नियुक्ति का व्ययभार निर्धारित पर्यपेक्षण प्रभार 8 प्रतिशत की सीमान्तर्गत ही भारित होगा।
2. चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण में संविदा नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
3. संविदा उपयंत्री (सिविल) अपना सम्पूर्ण समय कार्पोरेशन के कार्यो के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान होकर लगाने के लिए कृत्सकल्पित रहेगा। किसी व्यापार कारोबार व अन्य जीविका के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संलग्न नहीं रहेगा और प्रबंधन से बिना अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
4. संविदा उपयंत्री सिविल को संविदा अनुबंध अनुसार कम से कम 1 वर्ष माह तक संविदा नियुक्ति पर कार्य करना बंधनकारी रहेगा। इसके पूर्व में त्याग पत्र देने की स्थिति में कम से कम 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह के मानदेय के बराबर की राशि जमा करने पर संविदा का त्याग किया जा सकेगा। ऐसा न करने पर उक्त अवधि के मानदेय/पारिश्रमिक के बराबर की राशि भू–राजस्व की बकाया की भंति वसूली योग्य होगी।
5. संविदा उपयंत्री (सिविल) को उसके कार्यस्थल से आवश्यकतानुसार अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है एवं कार्यस्थल के मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य रूप से बंधनकारी रहेगा।
6. संविदा पद में नियमितीकरण/स्थाईकरण तथा पेंशन उपादान आदि की पात्रता नहीं होगी और न ही ऐसी किसी प्रकार की मॉग मान्य की जावेगी।
7. कर्तव्य के दौरान कार्पोरेशन के हित में यात्रा करने के लिए शासन के नियमों के अनुरूप न्यूनतम दर पर वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति कार्पोरेशन द्वारा की जावेगा। संविदा उपयंत्री (सिविल) कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी इसके अतिरिक्त पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जायेगें।
8. संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अवधि में शासन के कर्मचारियों की भांति अनुशासित रहकर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करना बंधनकारी होगा किन्तु इस आधार पर स्थाई नियोजन की पात्रता नहीं होगी और न ही ऐसी मॉग वैधानिक रूप से स्वीकार्य की जावेगी।
9. संविदा उपयंत्री को किसी प्रकार के अग्रिम की पात्रता नही होगी।

Scanned with ACE Scanner

10. नियमित नियुक्ति एवं पदस्थापना का दावा मान्य नहीं होगी।
11. संविदा उपयंत्री द्वारा कार्पोरेशन को जान बूझकर पहुंचाई गई क्षति की वसूली करने के लिए कार्पोरेशन भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली करने के लिए अधिकृत रहेगा।
12. उभय पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा संविदा भंग करने की स्थिति में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह के पारिश्रमिक के बराबर की राशि एकमुश्त जमा/भुगतान करने पर संविदा भंग की जा सकेगी एवं ऐसा न करने पर भू–राजस्व की बकाया की भांति यह राशि वसूली योग्य होगी किन्तु यदि अभ्यार्थी के द्वारा संविदा नियुक्ति की शर्तो के विपरीत कोई कदाचरण प्रदशित किया जाता है तो उसे एक माह की अग्रिम सूचना दी जाकर प्रबंधन द्वारा संविदा निरस्त की जा सकेगी।
13. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुर्ननियुक्ति आदेश की तिथि तक वेतन के बकाया की पात्रता नहीं होगी।

(अजय कुमार शर्मा)
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
म.प्र. पुलिस आवास एंव अधोसरंचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक–मप्रपुआअविनि/स्था–3/ 2195 /2025 भोपाल, दिनांक 28/08/25

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. मुख्य परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एंव अधोसंरचना विकास निगम भोपाल ।
2. अधीक्षण यंत्री 1, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एंव अधोसंरचना विकास निगम भोपाल।
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एंव अधोसंरचना विकास निगम भोपाल।
4. परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना विकास निगम संभाग–02 ग्वालियर।
5. श्री विवेक कुमार शुक्ला पिता श्री रविन्द्र कुमार शुक्ला म0न0 454 नीलकंठ नगर रेडियों कॉलोनी के पीछे छतरपुर की ओर।
6. स्था–1/2/लेखा शाखा।
7. आदेश पंजी।
8. परियोजना यंत्री, मप्रपुआअविनि भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(अजय कुमार शर्मा)
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
म.प्र. पुलिस आवास एंव अधोसरंचना
विकास निगम भोपाल

Shri Aushy Agrawal, DEOP, Upload on the website please. 10/9/25

आवक क्र. 1942
दिनांक 10/9/25